अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 2005

का.आ. 135(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड (ख) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की दिनांक 12 मार्च,1998 की अधिसूचना सं0 सां0 आ0 198(अ0) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने श्री वेद-गोविन्दपुरा सार्वजनिक दवाखानु, ग्राम वेद, तालुका कलोल, द्वारा-नरदीपुर, जिला महेसाणा, उत्तर गुजरात-382735 द्वारा ग्राम वेद, तालुक कलोल, जिला महेसाणा, गुजरात में बी0एम0बी0 सार्वजनिक अस्पताल के लिए ऐंबुलेंस वैन तथा दवाइयों की परियोजना अथवा स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में सात लाख सत्तासी हजार रुपए की अनुमानित लागत पर क्रम सं0 4 पर विनिर्दिष्ट किया था; और जिसे दिनांक 26 मई,2000 की अधिसूचना सं0 सां0आ0 511 (अ) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से प्रारम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए और आगे बढ़ाया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक समय तक चलने की संभावना है;

और, जबकि समाजिक और आर्थिक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, इस समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्षों की आगे की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वेद-गोविन्दपुरा सार्वजनिक दवाखानु, ग्राम वेद, तालुका कलोल, द्वारा-नरदीपुर, जिला महेसाणा, उत्तर गुजरात-382735 द्वारा ग्राम वेद, तालुक कलोल, जिला महेसाणा, गुजरात में बी0एम0बी0 सार्वजनिक अस्पताल के लिए ऐंबुलेंस वैन तथा दवाइयों की स्कीम की परियोजना या स्कीम की अनुमोदित लागत में बिना कोई परिवर्तन के वित्तीय वर्ष 2003-2004 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से आगे तीन वर्षों की अवधि के लिए पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 34/2005/फा. सं. एनसी-270/408/2004]

सुनील चन्द्र शर्मा, उप सचिव (राष्ट्रीय समिति)